राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : डीसी/ए–2/2015/305 दिनांक : 9/6/2015

1. अधीक्षक,
जनाना अस्पताल
अजमेर।

2. अधीक्षक,
जे0एल0एन0 होस्पीटल
अजमेर।

विषयः– अपील संख्या 23/2015 मै0 हरीश मेडिकल्स, पंकज मार्केट, स्टेशन रोड, अजमेर, राज0 बनाम अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक, अजमर में दिये गये निर्णय के क्रम में।

संदर्भः– विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प.27(23) चिस्वा/2/2015 दिनांक 03.06.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत अपीलीय अधिकारी एवं विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा अपील सं0 23/2015 में दिये गये निर्णय दिनांक 03.06.2015 में अपील को खारिज कर आपको भी निर्देशित किया गया है कि मै0 हरीश मेडिकल्स, पंकज मार्केट, स्टेशन रोड, अजमेर द्वारा फोर्टविन इंजेक्शन की भारी मात्रा में सरकारी संस्थाओं के फर्जी कागजों पर भारी मात्रा में सप्लाई किया जाना पाया जाने पर फर्म के विरूद्ध आप नियमानुसार एफ.आई.आर. दर्ज करवाऐं एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करावें।

संलग्नः– निर्णय की प्रति।

(अशोक भण्डारी)
औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : डीसी/ए–2/2015/305 दिनांक : 10/6/2015

प्रतिलिपिः–1. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि इस पत्र को कृपया विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।

संलग्नः– निर्णय की प्रति।

2- ADC AJMER for n/a.

(अशोक भण्डारी)
औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर

A-II
05/06/15

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–2)विभाग

कमांकः प0 27(23)चिस्वा/2/2015 जयपुर दिनांक 03.06.2015

अपील संख्या 23/2015

कार्यालय
औषधि नियंत्रक (राज.) जयपुर
05 JUN
G1-147

मै0 हरीश मेडिकल्स, पंकज मार्केट, स्टेशन रोड़, अजमेर, राज0।

अपीलान्ट

बनाम

अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक, अजमेर राज0।

रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 03.06.2015

अपील दर्ज की गई। अपीलार्थी ने यह अपील अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक, अजमेर के आदेश संख्या 45 दिनांक 13.04.2015 के विरूद्व की जिसके द्वारा अपीलार्थी के थोक औषधि अनुज्ञा पत्र संख्या 1496–1497 को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया गया था।

अपीलार्थी ने अपील में वर्णित किया है कि उसकी फर्म का निरीक्षण श्री अनिल अग्रवाल, सहायक औषधि नियंत्रक, जयपुर, श्री मनीष कुमार मोदी, औषधि नियंत्रण अधिकारी, अजमेर, श्री अशोक कुमार मीणा, औषधि नियंत्रण अधिकारी, जयपुर, ने दिनांक 04.02.2015 को श्रीमान औषधि नियंत्रक जयपुर राजस्थान के आदेश क्रमांक 78 दिनांक 03.02.2015 की अनुपालना में किया गया। निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर फर्म को दिनांक 27.02.2015 को कारण बताओं नोटिस तथा उसके पश्चात एक स्मरण पत्र 17.03.2015 को जारी किया गया था। अपीलार्थी ने दिनांक 23.03.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें जवाब देने हेतु और 15 दिवस का समय मांगा गया तथा दिनांक 20.03.2015 को श्री हरीश चंद चंचलानी ने अवगत कराया कि उनकी दुकान पूरी तरह अस्त–व्यस्त हो गई है तथा उनकी तबीयत भी खराब होने के कारण कम से कम 30 दिवस के बाद ही कारण बताऔ नोटिस का जवाब दे पाऊगा तथा विवादित आदेश में यह उल्लेख किया है कि दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 04.02.2015 तक 34,47,300 इंजेक्शन खरीद करना जिसमें 10,17,000 का खरीद रिकार्ड इन्द्राज करना उसमें से 8,15,604 इंजेक्शन उक्त अवधि में विभिन्न फर्मो को विक्रय विवरण प्रस्तुत करना बताया गया तथा मैसर्स मेडिकेयर ड्रग स्टोर, अजमेर, मैसर्स सरस्वती देहली, भागीरथ होटल, भागीरथ पैलेस दिल्ली, मैसर्स सोनी, मेडिसिन कम्पनी, मैसर्स सोनी मेडिकोल, मैसर्स सोनी मेडिकल एजेन्सीज भागीरथ पैलेस नई दिल्ली, आदि– आदि फर्मो को 8,13,960 इंजेक्शन विक्रय करने का सत्यापन करवाये जाने पर गलत पाया, इस प्रकार उक्त फर्म में 34,45,656 इंजेक्शन का अवैध विक्रय किया। निरीक्षण समय 2,01,396 इंजेक्शन का फिजिकली स्टॉक होना चाहिये था, जो कि शुन्य था उक्त तथ्यों के अलावा मैसर्स आशीष एजेन्सीज, अजमेर, मैसर्स एस.एम. डिस्ट्रीब्यूटर्स, अजमेर, मैसर्स सुप्रिम मेडिकोज, अजमेर, मैसर्स प्रवीण मेडिकल एजेन्सीज, ब्यावर जिला अजमेर पर कानूनन अप्रभावकारी बेअसर है। रेस्पोडेंट ने उक्त फर्म पर समस्त कार्यवाही विधि विरूद्व दुषित होने के आधार पर की गई है। अपीलार्थी द्वारा जिन–जिन संस्थाओं से Fortwin Injection खरीदे गये है उनका भुगतान भी संस्थाओं के चेंक के माध्यम से किया गया है और कुछ फर्मो को नकद भुगतान किया गया है। इस कारण रेस्पोडेंट द्वारा विवादित आदेश विधि विरूद्व होने के आधार पर खण्डनीय होने से निरस्तनीय है।

रेस्पोंडेन्ट ने वर्णित किया है कि अपीलाथी की फर्म का निरीक्षण श्री अनिल अग्रवाल, सहायक औषधि नियंत्रक, जयपुर, श्री मनीष कुमार मोदी, औषधि नियंत्रण अधिकारी, अजमेर, श्री अशोक कुमार मीणा, औषधि नियंत्रण अधिकारी, जयपुर, ने दिनांक 04.02.2015 को श्रीमान औषधि नियंत्रक जयपुर राजस्थान के आदेश क्रमांक 78 दिनांक 03.02.2015 की अनुपालना में किया गया। निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर फर्म को दिनांक 27.02.2015 को कारण बताओं नोटिस तथा उसक पश्चात एक स्मरण पत्र दिनांक 17.03.2015 को जारी किया गया था। अपीलार्थी ने दिनांक 23.03.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

राजस्थान, जयपुर व श्री ईश्वर सिंह यादव, सहायक औषधि नियंत्रक, अजमेर उपस्थित हुये। सुनवाई के दौरान अपीलीय अधिकारी ने राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी अजमेर के जे.एल.एन. अस्पताल व जनाना अस्पताल के सदस्य सचिव को दिनांक 15.05.2015 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है तथा रेनबैक्सी के सेल्स प्रतिनिधी जयपुर को सुनवाई में बुलाया गया है। अगली सुनवाई दिनांक 18.05.2015 को रेनबैक्सी लैबोरेट्री लिमिटेड के प्रतिनिधी श्री जगजीत सिंह, C&F एजेन्ट साथ ही जनाना अस्पताल अजमेर से श्री सुरेश सेठी, सहायक लेखाधिकारी तथा ड्रग स्टोर चिकित्सा प्रभारी डॉ दीपाली जैन द्वारा जानकारी दी गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा जनाना अस्पताल, अजमेर व जे.एल.एन अस्पताल, अजमेर के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समय मांगा गया। जो अपीलार्थी को समय दिया गया तथा आगामी सुनवाई दिनांक 28.05.2015 को नियत की गई। जिसमें पुनः अपील में सुनवाई की गई अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री बी.एल.खेमका तथा विभाग के अधिकारी श्री अशोक भण्डारी, औषधि नियंत्रक, राजस्थान, जयपुर व श्री ईश्वर सिंह, सहायक औषधि नियंत्रण अधिकारी, अजमेर तथा रेनबैक्सी लैबोरेट्री लिमिटेड के प्रतिनिधी श्री जगजीत सिंह, C&F एवं डॉ पी.सी.वर्मा, अधीक्षक, जे.एल.एन. अस्पताल, अजमेर, व श्री महेन्द्र मोहन, मुख्य लेखाधिकारी व उपस्थित हुये, जिसमें सभी पक्षों द्वारा Fortwin Injection के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई पूरें प्रकरण में यह देखा गया है कि अपीलार्थी द्वारा अत्यंत अवैधानिक तरीके से जनाना अस्पताल अजमेर व जेएल.एन अस्पताल अजमेर के नाम से रेनबैक्सी लैबोरेट्री कम्पनी से अत्याधिक मात्रा में Fortwin Injection मंगवायें गये तथा अपीलार्थी इस संबंध में कोई भी खण्डन प्रस्तुत नहीं कर पाये, इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा इतनी संख्या में Fortwin Injection सरकारी साक्ष्य के नाम से खरीदकर विक्रय करना तुरन्त विक्रय का रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं करना सदेंहजनक है तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु अजमेर में दर्ज मुकदमें से उचित प्रतीत होती है। अपीलार्थी द्वारा इस बात को बार–बार कहा गया कि हमें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी का यह कथन मिथ्या है प्रकरण में सहायक औषधि नियंत्रक द्वारा की गई कार्यवाही तथा जारी आदेश कमांकः 45 दिनांक 13.04.2015 पूर्णतयाः न्यायोचित है। अतः अपील खारिज की जाती है। इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर को उचित कार्यवाही हेतु लिखा जाना भी सही होगा। विभाग, जनाना अस्पताल, अजमेर तथा जे.एल.एल अस्पताल, अजमेर द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व सक्षम अधिनियम के तहत उचित कार्यवाही की जानी चाहिऐ। प्रकरण में Fortwin Injection का इतना बडा मामला बनता है कि मैसर्स रेनबैक्सी लैबोरेट्री लिमिटेड, जयपुर की अनदेखी तथा केवल अपना माल बेचने के व्यापारिक हित के कारण बनावाया है। कम्पनी द्वारा सरकारी संस्थाओं के फर्जी कागजों पर इतनी भारी संख्या में दिये गये आदेशो की कभी भी प्रमाणीकरण (Varification) ना करवाना और अजमेर में एक फर्म द्वारा इतनी भारी संख्या में Fortwin Injection की खपत करना कम्पनी के प्रबन्धन की असफलता रही है, इसलिये औषधि नियत्रंक, जयपुर को आदेशित किया जाता है कि मैसर्स रेनबैक्सी लैबोरेट्री लिमिटेड, जयपुर के Fortwin Injection से सम्बन्धित समस्त अभीलेखों की विस्तृत जांच कराये ताकि नशे के लिये इनके दुरूपयोग से बचाव का रास्ता निकल सके। तब तक मैसर्स रेनबैक्सी लैबोरेट्री लिमिटेड, जयपुर के राजस्थान में Fortwin Injection का स्टोरेज व विकय पर रोक लगाई जावें। पालना अविलम्ब प्रस्तुत की जावें। निर्णय लिखाया गया। संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित है।

अपीलीय अधिकारी एवं
विशिष्ठ शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रण संगठन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, तिलक मार्ग,राज0 जयपुर।
2. औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक, अजमेर राज0 ।
3. मैसर्स हरीश मेडिकल्स, पंकज मार्केट, स्टेशन रोड़, अजमेर, राज0।

अपीलीय अधिकारी एवं
विशिष्ठ शासन सचिव